संख्या सा-3-1306/दस-926-81

प्रेषक,

जे0 एल0 बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 6 अगस्त, 1982।

विषय : विशेष जोखिम के मामलों में असाधारण पेंशन की स्वीकृति का अधिकार विभागाध्यक्षों को देना।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पद के विशेष जोखिम के मामलों में मृतक सरकारी सेवक के परिवार को उ0 प्र0 सिविल सर्विसेज (असाधारण पेंशन) नियमावली के अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता तथा पारिवारिक पेंशन की दरों का उदारीकरण करने के उद्देश्य से अधिसूचना सं0 सा-3-1863/दस-926-81, दिनांक 28 दिसम्बर, 1981 के द्वारा उक्त नियमावली में अपेक्षित संशोधन किये गये हैं। इसके साथ-साथ शासन द्वारा यह भी विचार किया गया है कि नियमों में ऐसी व्यवस्था भी कर दी जाय कि उक्त लाभ मृतक सेवक के परिवार को शीघ्र उपलब्ध हो सके। नियमों की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मृतक के परिवार के दावे की अनुमन्यता के संबंध में विभागाध्यक्ष पहले महालेखाकार की रिपोर्ट प्राप्त करता है और उसके बाद मामला सचिवालय के संबंधित प्रशासनिक विभाग को स्वीकृति हेतु भेजता है। विवादास्पद मामलों में प्रशासकीय विभाग वित्त विभाग की सहमति के आदेश जारी करता है। यदि ऐसे मामलों में, जिसमें महालेखाकार और प्रशासकीय विभाग के मतों में अन्तर न हो, एक मुश्त आर्थिक सहायता/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार विभागाध्यक्षों को दे दिया जाय तो समय की बचत होगी और बहुत से मामलों में एकमुश्त सहायता/पारिवारिक पेंशन का भुगतान शीघ्रता से हो सकेगा।

2—अतः श्री राज्यपाल महोदय ने पद के विशेष जोखिम के फलस्वरूप मृत्यु के मामलों में नियमानुसार देय आर्थिक सहायता और पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार विभागाध्यक्षों को दिये जाने के आदेश प्रदान किये हैं। अब उपरोक्त प्रकार के मामलों में विभागाध्यक्ष महालेखाकार की रिपोर्ट प्राप्त करके स्वयं आर्थिक सहायता/पारिवारिक

[कृ0 प0 ष0



पेंशन स्वीकृत करेंगे। परन्तु जिन मामलों में विभागाध्यक्ष और महालेखाकार के मतों में अन्तर हो वे मामले शासन को संदर्भित किये जायेंगे। विशेष जोखिम के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के सभी मामले स्वीकृति के लिये पूर्व की भांति शासन को संदर्भित किये जाते रहेंगे।

3—उपर्युक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे और अनिस्तारित प्रकरणों को भी इसी व्यवस्था के अनुसार निपटाया जायेगा। इन आदेशों से नियमावली के संगत उपबन्ध संशोधित समझे जायेंगे तथा औपचारिक संशोधन यथा-समय बाद में जारी किये जायेंगे।

भवदीय,
जे0 एल0 बजाज,
वित्त सचिव।

संख्या सा-3-1306 (1)/दस-926/81

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3—विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय।

आज्ञा से,
भीष्म देव सिंह,
उप सचिव।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 29 सा0 भाषा—21-8-82—(1567)—1982—10,000 (हि0)।